



E-ISSN: 2664-603X

P-ISSN: 2664-6021

IJPSG 2019; 1(2): 21-25

Received: 16-05-2019

Accepted: 19-06-2019

**डॉ. शशी सौरभ**

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति  
शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग,  
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय  
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ,  
उत्तर प्रदेश, भारत

## भारत में दिव्यांगजन का राजनीतिक सशक्तिकरण: एक चुनौती

**डॉ. शशी सौरभ****प्रस्तावना**

'दिव्यांग' समाज का वह वर्ग है, जो प्राकृतिक कारणों से अथवा किसी दुर्घटनावश शारीरिक और मानसिक रूप से अन्य से भिन्न तथा मानव निर्मित असमानताओं का शिकार रहा है और 'व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों ही स्तर पर उपेक्षा का शिकार रहा है'<sup>1</sup>, जिसके परिणामस्वरूप वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी दूर रह गया है। चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए या फिर राजनीतिक सहभागिता की, दिव्यांगजन सदैव मुख्यधारा से अलग रहा है। केवल सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण ही इस समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिव्यांगजन का राजनीतिक सशक्तिकरण है।

भारत में सन् 1872 से 1931 तक जनगणना में दिव्यांगता संबंधित प्रश्न शामिल किया गया था। सन् 1941 से 1971 तक दिव्यांगता के प्रश्न को हटाए रखा गया। सन् 1981 में 3 प्रकार की दिव्यांगता (दृष्टिबाधित, पूर्ण रूप से चलने में अक्षम और श्रवणबाधित) से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए गए। सन् 1991 में इस प्रश्न को पुनः त्याग दिया गया और सन् 2001 में 5 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया (दृष्टिबाधित, मूक, बधिर, चलने में असमर्थ, मानसिक मन्दता)। सन् 2011 में 8 प्रकार की दिव्यांगता पर प्रश्न पूछे गए (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मूक, चलने में असमर्थ, मानसिक मन्दताग्रस्त, मानसिक बीमारी, कोई और दिव्यांगता और बहु-निःशक्तताग्रस्त)।<sup>2</sup> भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है।

भारत के दिव्यांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 ने अक्षमता की सात श्रेणियाँ बताई हैं— अंधापन; कम दृष्टि; कुष्ठ रोग; सुनने में अयोग्य; लोकोमोटर अक्षमता; मानसिक पिछड़ापन; मानसिक बीमारी।<sup>3</sup> दिव्यांगजन को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 'विकलांग' के स्थान पर 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग करने पर बल दिया गया है। साथ ही उनके विविध हितों की पूर्ती और सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से 1995 के अधिनियम के स्थान पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगता की श्रेणी को और भी विस्तृत करते हुए पूर्व में उल्लिखित सात श्रेणियों के स्थान पर कुल 21 श्रेणियों के अधीन आने वाले लोगों को दिव्यांग के रूप में सरकारी सहायता और संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किए गए।

दिव्यांगजन के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा नीतियों का निर्माण भी किया गया है, परन्तु जिस क्षेत्र में सबसे कम ध्यान दिया गया है, वह है, दिव्यांगजन का राजनीतिक सशक्तिकरण। लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान और इसका महत्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी है, जो कि राजनीतिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दिव्यांगजन का राजनीति में प्रतिभाग और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना एक ऐसी चुनौती है, जिसका सामना तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक इसके अंतर्निहित कारणों को समझ कर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयास न किया जाए। अतः इस शोधपत्र का उद्देश्य दिव्यांगजन के राजनीतिक सशक्तिकरण के समक्ष समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान हेतु उपाय बताना है।

**दिव्यांगजन हेतु संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान**

दिव्यांगजन के राजनीतिक सशक्तिकरण के विषय पर आने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि भारत में दिव्यांगजन हेतु क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान हैं।

**Corresponding Author:****डॉ. शशी सौरभ**

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति  
शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग,  
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय  
पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ,  
उत्तर प्रदेश, भारत

यदि भारतीय संविधान की बात की जाए तो, इसके भाग 3 और भाग 4 में भारतीय नागरिकों को क्रमशः जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परन्तु यह भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू है, जिनमें दिव्यांगजन को शामिल किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में भेद-भाव से मुक्त समानता और अवसरों की समानता का प्रावधान है। इन्द्रा सावनी वनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायधीशों की खण्डपीठ ने अनुच्छेद 14, 15 (1) और 16 के संदर्भ में यह निर्णय दिया कि यह अनुच्छेद दिव्यांगजन के हित में सकारात्मक भेदभाव का समर्थन करते हैं।<sup>4</sup> अनुच्छेद 41 में राज्य सूची में प्रविष्टि सं0 9 के अंतर्गत दिव्यांगों को राहत दिये जाने का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 (जी0) की प्रविष्टि सं0 26 तथा 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू0) की प्रविष्टि सं0 09 में भी दिव्यांगजन के कल्याण व उनके हितों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।<sup>5</sup>

1980 के दशक के पूर्व दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु कोई नीतिगत और विधायी प्रयास नहीं किए गए थे। सन् 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया कि शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगजन को शिक्षा के माध्यम से समाज के अन्य लोगों की भाँति विकास करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता प्रदान की जा सके। इसी क्रम में दिव्यांगजन के हितों को ध्यान में रखकर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित किया गया था।<sup>6</sup> 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद् का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजन के शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करने हेतु नियमन का कार्य करना था।<sup>7</sup> दिव्यांग (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए उठाया गया ऐसा कदम था, जिसने कुछ हद तक उनकी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इसके अंतर्गत निर्धारित दिव्यांगता की 7 शर्तों का उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार स्वपरायणता (Autism), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 पारित किया गया था।<sup>8</sup> इसका उद्देश्य उक्त दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले लोगों के कल्याण हेतु संस्था का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजन के अभिभावक के मृत्यु की दशा में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना है तथा आवश्यकतानुसार उनके परिवार को संकटकालीन सहायता भी प्रदान करना है।<sup>9</sup> सन् 2006 में दिव्यांगजन के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 (National Policy for Persons with Disability, 2006) की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवेश में विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजन के समक्ष बाधाओं को चिन्हित करते हुए उनके समावेश और प्रतिभाग को सुनिश्चित करना है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सकीय पुनर्वास नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्वास करना है। इसी प्रकार सन् 2000 में Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, 2000 के तहत दिव्यांगजन को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास किए गए।<sup>10</sup> इसी प्रकार कई अधिनियमों, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजन की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें दूर करने हेतु प्रावधान किए गए थे।

इसी क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया गया, जिसमें दिव्यांगता के सात श्रेणियों के स्थान पर 21 श्रेणियों की बात की गई जैसे— दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके व्यक्ति, बधिर (बहरे और मुश्किल से सुन सकने वाले), चलने में अक्षम, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म (स्वपरायणता), स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी

(प्रमस्तिष्क घात), मांसपेशी दुर्बिकार, स्थानीय स्नायविक परिस्थितियाँ, विशिष्ट प्रज्ञता अक्षमताएँ, मल्टीपल स्केलेराक्लिसिस, भाषण और भाषा संबंधी दिव्यांगता, थैलेसीमिया, होमोफिलिया, सिकल सेल बीमारी, एसिड अटैक के पीड़ित और पार्किंसंस बीमारी।<sup>11</sup> इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजन के साथ भेदभाव किए जाने पर दण्ड के प्रावधानों को और भी कठोर बनाया गया। न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को रोजगार में आरक्षण एवं शिक्षा और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने का प्रावधान भी किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों, जो सरकारी हैं अथवा सरकार से सहायता प्राप्त हैं, में पाँच प्रतिशत तथा अन्य सरकारी रोजगारों में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।<sup>12</sup> अधिनियम में दिव्यांगजन हेतु सुगम्यता पर भी विशेष बल दिया गया। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 3 दिसम्बर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों, परिवहन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी को सुगम्य बनाना है, जिससे दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।<sup>13</sup> 'सुगम्य भारत अभियान' प्रारम्भ में पायलट आधार पर सात राज्यों में कार्यान्वित किया जाएगा, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा शामिल हैं। सर्वप्रथम 48 शहरों में जुलाई, 2016 तक सरकारी भवन और सार्वजनिक सुविधाओं को पूर्णतः सुगम्यता में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।<sup>14</sup>

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि दिव्यांगजन के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं और सरकारें (केन्द्र तथा राज्य) निरन्तर प्रयासरत हैं, परन्तु जब प्रश्न राजनीतिक सशक्तिकरण का आता है, तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता। आज तक दिव्यांगजनों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष प्रावधान जैसे— अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संसद, विधान सभाओं तथा स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में आरक्षण, मंत्रिमंडल में दिव्यांगजन हेतु पद सुरक्षित रखना, इत्यादि, नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का उल्लेख तो है, परन्तु राजनीतिक प्रतिभाग सुनिश्चित करने के लिए केवल निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह दिव्यांगजन को मताधिकार के प्रयोग में आ रही बाधाओं को दूर करने का कार्य करे।

### दिव्यांगजन के राजनीतिक सशक्तिकरण के समक्ष समस्याएँ

यदि दिव्यांगजन की राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की जाए तो राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व में कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की जाए तो सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्व का प्रश्न उठता है। भारतीय राजनीति में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कुछ ही दिव्यांग राजनेता देखने को मिलते हैं, जो कि दिव्यांगता की कुछ ही श्रेणियों से संबंधित हैं शेष की बात की जाए, तो शायद ही हमें दिव्यांगजन की राजनीति में सक्रिय भागीदारी देखने को मिले।

इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में भी अपवादस्वरूप कुछ ही दिव्यांग जन नेतृत्वकर्ता की भूमिका में देखे जा सकते हैं। 'जो दिव्यांग राजनीति के क्षेत्र में आना भी चाहते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न जन समूह का हित समूहन किया जाता है, परन्तु दिव्यांगजन समूह किसी भी राजनीतिक दल की वरियता में नहीं दिखता।'<sup>15</sup> इसलिए दिव्यांगजनों की राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व न के बराबर है।

ऐसे में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि वे

कौन सी समस्याएं हैं, जो दिव्यांगजन के राजनीतिक सशक्तिकरण के समक्ष बाधाएं उत्पन्न कर रहीं हैं तथा इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है।

### सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की समस्या

यह भली-भाँति ज्ञात है कि राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण कितना आवश्यक है। राजनीति में सहभागिता और प्रतिनिधित्व उन्हीं वर्गों का सुनिश्चित हो पाता है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सम्पन्न हों। जब दिव्यांगजन की राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो सहज रूप से यह देखा जा सकता है कि इनकी सहभागिता न के बराबर ही है, जिसका कारण यह है कि भारत में दिव्यांगजन की अधिकतम आबादी समाज के वंचित वर्गों (जाति तथा समुदाय) में फैली हुई है।<sup>16</sup> इसे समझने के लिए उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा को समझना उचित प्रतीत होता है, जो स्वयं में ही इस प्रश्न का उत्तर दे देगी कि क्यों इस वर्ग या समूह की राजनीतिक दशा दयनीय बनी हुई है।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में से 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। 2.68 करोड़ में से 1.5 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। अर्थात् पुरुष 56 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत महिलाएं हैं। 69 प्रतिशत दिव्यांग ग्रामीण इलाकों से हैं और 31 प्रतिशत शहरी इलाकों से।<sup>17</sup> समाजिक समूह की दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि अधिकतम दिव्यांग अनुसूचित जातियों के हैं। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या में से 17.1 मिलियन दिव्यांग गैर-आर्थिक कार्यों में लगे हैं।<sup>18</sup> जो दिव्यांग सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करने में सक्षम भी हो गए, उन्हें भी सरकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि या तो आरक्षित सीटों की विज्ञप्ति नहीं होती या फिर उन्हें रिक्त छोड़ दिया जाता है। प्रशासनिक तथा अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी पदों पर दिव्यांगजन की संख्या भी नगण्य है। इसलिए सन् 2014 से केन्द्र सरकार ने विशेष अभियान चलाते हुए दिव्यांगजन हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष भर्तियों की विज्ञप्ति निकालने का कार्य प्रारम्भ किया है। इससे यह स्पष्ट है कि दिव्यांगजन के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास अभी अंतिम परिणाम दे पाने में समर्थ नहीं हो सके हैं, जो इन प्रयासों के क्रियान्वयन की समस्या को उद्घाटित करते हैं। यदि दिव्यांगों की अधिकतम जनसंख्या आर्थिक रूप से पराश्रित है, तो वे राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं हो सकते। प्रयासों का पन्नों तक सिमट जाना दिव्यांगों के न केवल सामाजिक-आर्थिक बल्कि राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी समस्यात्मक है। अतः केन्द्र, राज्य और स्वशासन की इकाइयों के स्तर पर ऐसे प्रयास को और भी अधिक बल देने की आवश्यकता है।

### दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में एकता की समस्या

दिव्यांगजन की जनसांख्यिकीय अध्ययन से यह स्पष्ट है कि क्यों यह वर्ग अथवा समूह सामाजिक-राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। लोकतंत्र कि यह विडम्बना है कि संख्या बल ही इसका आधार बन जाती है। जिस वर्ग अथवा समूह की जितनी जनसंख्या, उसका उतना ही बोल-बाला होता है। भारत में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 18.8 प्रतिशत सुनने की क्षमता, 18.9 प्रतिशत दृष्टि दोष, 7.5 प्रतिशत बोलने संबंधी, 20.3 प्रतिशत लोकोमोटर, 5.6 प्रतिशत मंदबुद्धि, 2.7 प्रतिशत मानसिक बीमारी, 18.4 प्रतिशत अन्य प्रकार की दिव्यांगता तथा 7.9 प्रतिशत एक या एक से अधिक प्रकार की शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं।<sup>19</sup> अतः जनसंख्या की दृष्टि से छोटा या

कम होना तथा दिव्यांगता का विभिन्न प्रकार इस वर्ग अथवा समूह के राजनीतिक सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।

भारत में 2016 के अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगता का उल्लेख है, जिनमें ऐसे दिव्यांग भी हैं, जो अपनी नीजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य पर निर्भर हैं। कुछ दिव्यांग ऐसे भी हैं जो शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के कारण परिवार और समाज के उपेक्षा के शिकार हैं। ऐसे में सभी दिव्यांगों से यह अपेक्षा करना कि वे राजनीतिक प्रतिभाग और प्रतिनिधित्व के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अनुचित है। ऐसे में केवल दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, चलने में अक्षम, बौनापन के शिकार व्यक्ति ही अपने हितों की पूर्ति हेतु आवाज उठा सकते हैं और अपना प्रतिनिधित्व स्वयं कर सकते हैं। अन्य दिव्यांग अपने प्रतिनिधित्व के लिए अन्य पर आश्रित रह जाते हैं जोकि राजनीतिक स्तर पर इन्हें और भी कमजोर बना देता है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक रूप से भी जनसंख्या का बिखराव इन्हें और भी कमजोर कर देता है।

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों में भी अधिकतम संगठन ऐसे हैं, जो किसी एक या दो दिव्यांगता को लेकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दिव्यांग एक समेकित समूह के रूप में संगठित नहीं हो पाते। दिव्यांगजन अधिकार आंदोलनों की बात की जाए, तो यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अधिकतम दिव्यांगजन अधिकार आंदोलन दृष्टि बाधित, चलने में अक्षम, बौनेपन से ग्रहित तथा श्रवणबाधित श्रेणी के दिव्यांगों के द्वारा ही चलाए गए हैं, जिन्होंने समेकित रूप से सभी दिव्यांगजन नहीं, बल्कि अपने श्रेणी के दिव्यांगों के हितों के लिए ही आवाज उठाए हैं। ऐसे में दिव्यांगजन में एकता के अभाव ने निःसंदेह इनके राजनीतिक सशक्तिकरण को एक चुनौती बना दिया है।

### शिक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव की समस्या

भारत में दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण विधानों का निर्माण किया गया, जैसे- भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 जो इस बात पर बल देता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाए; दिव्यांग जन अधिनियम 1995 इस बात की पुष्टि करता है कि दिव्यांग बच्चों को अनुकूल वातावरण में 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है; स्वपरायणता (Autism), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 इस बात पर बल देता है कि दिव्यांगजन को स्वतंत्र रूप से जीवन यापन का अधिकार है। सन् 2007 में 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 2010 में इसे लागू किया गया तथा 2012 में इसमें संशोधन कर इसे और भी विस्तृत बनाया गया, जिससे दिव्यांग बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके।

जनगणना के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या में से 45.48 प्रतिशत अशिक्षित हैं। शिक्षित दिव्यांगजनों में 54.52 प्रतिशत दिव्यांग प्राथमिक स्तर की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। 24.38 प्रतिशत दिव्यांग माध्यमिक स्तर से कम तथा 16.75 प्रतिशत दसवीं से कम शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। 23.59 प्रतिशत दिव्यांग स्नातक तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके तथा केवल 8.53 प्रतिशत दिव्यांग ही स्नातक या उससे उपर की पढ़ाई कर पाने में सक्षम हुए हैं।<sup>20</sup>

ऐसे में शिक्षा के अभाव (विशेष रूप से उच्च शिक्षा) में क्या राजनीतिक प्रतिभाग और प्रतिनिधित्व की बात करना कहीं से औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। इसके लिए आवश्यक है कि दिव्यांगजन के उच्च शिक्षा पर सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया

जाए, जो उन्हें लोकतंत्र के महत्व के विषय में जानकारी प्रदान करता है, उन्हें आत्मनिर्भरता प्रदान करता है और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है, जिसके फलस्वरूप वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने के योग्य बन सकते हैं।

### संरचनात्मक सुविधा/ सुगमता के अभाव की समस्या

भारत सरकार द्वारा 3 दिसम्बर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों, परिवहन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी को सुगम्य बनाना है, जिससे दिव्यांगजन को किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।<sup>21</sup> अभियान को शुरू हुए अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं, इसलिए इसके क्रियान्वयन संबंधी विश्लेषण की तत्पत्ता दिखाना उचित नहीं है। परन्तु इस बात की प्रशंसा की जा सकती है कि भौतिक अथवा संरचनात्मक सुगम्यता प्रदान करना सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों के बाद यह पहल करना इस बात को अवश्य दर्शाता है कि दिव्यांगजन के सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उठाया गया यह कदम बहुत विलम्ब से उठाया गया कदम है। अधिकतम दिव्यांग (विशेष रूप से बहुदिव्यांगता से ग्रसित, चलने में अक्षम और मानसिक मंदिता या मानसिक रोगों से ग्रसित दिव्यांगजन) आधारभूत संरचनात्मक कमियों के कारण केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते थे। ऐसे में उनके सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रश्न उठाना उनका उपहास करने के समान था। वह व्यक्ति जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्र तक पहुँचने में असमर्थ था, सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में असमर्थ था, उससे राजनीतिक प्रतिभाग की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अतः सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के माध्यम से दिव्यांगजन के राजनीतिक सशक्तिकरण की चुनौती का सामना करने में सहयोग प्रदान करें।

### सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी समस्या

सरकारी नीतियों, विधानों और कार्यक्रमों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, परन्तु जब इन नीतियों, विधानों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और इनकी सच्चाई पर ध्यान दिया जाता है, तो यह मिलता है कि यह सभी नीतियों, विधान और कार्यक्रम केवल कागजी हैं।<sup>22</sup> लेनी चौधरी के अनुसार सभी प्रकार के सरकारी दखल विफल रहे हैं, जिनके विभिन्न महत्वपूर्ण कारण हैं—पुनर्वास से संबंधित सभी कार्यक्रम कल्याण के उपागम पर टिके हैं, जबकि इन्हें अधिकार उपागम पर आधारित होना चाहिए; दिव्यांगता से संबंधित जागरूकता का प्रसार न किया जाना, जिससे समाज में दिव्यांगों के विरुद्ध पनप रही मानसिकता और भेद-भाव को समाप्त किया जा सके; दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयास अधिकतर चिकित्सकीय हैं, जबकि इन्हें सामुदायिक पुनर्वास की आवश्यकता है; जो चिकित्सकीय प्रयास किये जा रहे हैं, वो भी केवल कुछ ही दिव्यांगता से संबंधित हैं, जैसे— पोलियो उन्मूलन अभियान, जबकि इससे कहीं ज्यादा आवश्यकता मानसिक रोगों और श्रवण संबंधी रोगों के रोक-थाम के लिए किए जाने चाहिए; जिन सरकारी विभागों और एजेन्सियों को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, वे स्वयं दिव्यांगता के क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं रखते और न ही उनमें कोई विशेषज्ञता है; दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के मद में बजट का अभाव और निरंतर नियमन और मूल्यांकन का अभाव है। जितने भी कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं वे अधिकतम किसी न किसी चैरिटेबल संस्था के द्वारा ही किए जा

रहे हैं। इस क्षेत्र में कई ऐसी भी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिन्हें दिव्यांगता से जुड़े वैधानिक प्रावधानों का कोई ज्ञान तक नहीं है। सभी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम तभी दिव्यांगजन का सशक्तिकरण करने में सक्षम हो सकेंगी, जब इनका सुचारु रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।<sup>23</sup> कृष्णा अययर, विख्यात भारतीय विधिशास्त्री, ने ठीक ही कहा है कि दिव्यांगों हितों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंध जटिल हैं। जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वे अपर्याप्त हैं और कई शर्तों के साथ दी जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि दिव्यांग और भी दिव्यांग हो जाते हैं। विभिन्न प्रारूप, शपथ पत्र, प्रमाण पत्र और लाल-फीताशाही इन परियोजनाओं को एक छलावा और झूठे वादे बना कर रख देती हैं।<sup>24</sup>

ऐसे में यह स्पष्ट है कि तमाम सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक इनका सुचारु रूप से क्रियान्वयन न किया जाए।<sup>25</sup> दिव्यांगजन के राजनीतिक सशक्तिकरण की चुनौती से निपटने के लिए सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संबंधित योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, समनवयन और नियमन करना आवश्यक है।

### निष्कर्ष

उपरोक्त समस्याओं का अध्ययन कर यह समझा जा सकता है कि दिव्यांगजन के राजनीतिक सशक्तिकरण के समक्ष समस्याएं कितनी जटिल और गंभीर हैं। इन समस्याओं का समाधान किए बिना दिव्यांगजन का राजनीतिक सशक्तिकरण कर पाना असंभव है। उक्त समस्याओं का संभावित समाधान निम्नलिखित बिन्दुओं में समझा जा सकता है—

1. जनगणना में अनिवार्य रूप से दिव्यांगता के प्रश्न को शामिल किया जाए, जिससे दिव्यांगजन की जनसांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र किया जा सके और उसके आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। दिव्यांगता के विभिन्न श्रेणियों (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लिखित 21 श्रेणियों) को जनगणना में सम्मिलित किया जाए, जिससे दिव्यांगों की वास्तविक जनसंख्या को चिन्हित किया जा सके। जनसंख्या का वास्तविक आकार जाने बिना उनके सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान करने में समस्या होती है और उनका सुचारु रूप से क्रियान्वयन भी संभव नहीं है।
2. संविधान में दिव्यांगजन के लिए संसद, विधान सभाओं और स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया जाए अथवा दिव्यांगों का सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, जिससे वे प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में प्रतिभाग कर सकें, निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो और अपने प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें किसी अन्य पर निर्भर न होना पड़े।
3. राजनीतिक दलों का कार्य हित समूहन है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य प्रावधान किया जाए कि वे दिव्यांगजन हेतु अपने दलों में विशेष प्रावधान कर उनका समावेश करें, जिससे उनके हितों की विभिन्न स्तरों पर रक्षा की जा सके तथा उन्हें भी राजनीतिक अवसर प्राप्त हो सकें।
4. मंत्रिपरिषद् के गठन में दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और विशेष रूप से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का नेतृत्व किसी दिव्यांग व्यक्ति को सौंपी जाए जिससे वह दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशील तरीके से कार्य कर सके और दिव्यांगजन भी उससे अपनी समस्याओं को साझा करने में सहज महसूस करें।
5. दिव्यांगजन के बहुमुखी विकास और सशक्तिकरण हेतु केन्द्र

- और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का निरन्तर नियमन और पर्यवेक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त संरचनात्मक सुविधाओं/सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं।
6. दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में एकता स्थापित करने तथा उनमें समुदायिक भावना का विकास करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं। ऐसे दिव्यांग जो पारिवारिक, सामाजिक अथवा आर्थिक कारणों के चलते दिव्यांगजन समूह से अलग हैं और स्वयं को इस व्यवस्था में अकेला और अलग-थलग मानते हैं, उनमें सामूहिक चेतना, आत्म सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाए, जिससे वे एक समेकित समूह के रूप में अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सफलतापूर्वक रख सकें।

उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि दिव्यांगजन का राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल एक चुनौती है, बल्कि दिव्यांगता से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान भी है। ऐसे में आर्थिक-सामाजिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के साथ ही साथ राजनीतिक सशक्तिकरण पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए क्योंकि जब तक दिव्यांगजन का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होता और वे नीति-निर्माण की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ते, तब तक उनका बहुमुखी विकास और सशक्तिकरण संभव नहीं है।

#### संदर्भ ग्रन्थ

1. Charlton James I. Nothing About Us, Without Us- Disability Oppression and Empowerment, University of California Press, London, 1998-2000, 154.
2. Disabled Persons in India – A Statistical Profile 2016, Social Statistics Division, Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India, New Delhi, p.15-16
3. उपरोक्त पृ 6
4. Ahmed, Rumi, 'Rights of Persons with Disability in India- A Critical Legal Analysis', White Falcon Publishing, Chandigarh, 2015, p. 213
5. उपरोक्त
6. Mehrotra, Nilika, 'Disability, Gender and State Policy- Exploring Margins', Rawat Publications, Jaipur, 2013, 78.
7. उपरोक्त
8. उपरोक्त, पृ 79
9. Ahmed, Rumi, 'Rights of Persons with Disability in India- A Critical Legal Analysis', White Falcon Publishing, Chandigarh, 2015, p. 219
10. उपरोक्त, पृ 220
11. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
12. उपरोक्त
13. <http://accessibleindia.gov.in/contenthi/innerpage/about-accessible-india-campaign-hi.php> seen on 22.04.2019
14. [http://disabilityaffairs.gov.in/contenthi/accessible\\_india.php](http://disabilityaffairs.gov.in/contenthi/accessible_india.php) seen on 7.4.19
15. <https://www.thenewsminute.com/article/politics-and-people-disabilities-how-law-remains-barrier-against-democracy-83113> seen on 28.03.2019
16. Rao Pulla D. Disabled – Problems and Empowering Strategies, Abhijeet Publications, New Delhi, 2012, 1.
17. भारत की जनगणना 2011
18. उपरोक्त
19. उपरोक्त
20. mijksDr
21. <http://accessibleindia.gov.in/contenthi/innerpage/about-accessible-india-campaign-hi.php> seen on 22.04.2019
22. Leni Chaudhari, 'Disability in India: Issues and Concerns', 2006, supra note p. 549 ns[ksa Ahmed, Rumi, 'Rights of Persons with Disability in India- A Critical Legal Analysis', White Falcon Publishing, Chandigarh, 2015, p. 213
23. mijksDr
24. Iyer, Krishna, 'Law, Justice and the Disabled', Deep and Deep Publications, Delhi, 1982, p.45
25. Kaur Prithpal. Empowerment of Physically Handicapped and Disabled Persons, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2010, 130.